

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-2/स्थानान्तरण/इतिहास/2020-21/ दिनांक-07.02.2021 के तहत कन्हैया लाल खीची व्याख्याता, इतिहास राउमावि, पवाना- अहीर जयपुर से राउमावि, हरसाना -अलवर किया गया।

उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध श्री कन्हैया लाल खीची द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 1739/2021 कन्हैयालाल खीची बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई। माननीय अधिकरण ने अपने अन्तरिम आदेश दिनांक 25.03.2021 द्वारा अपीलार्थी के विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 07.02.2021 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन अपीलार्थी के संबंध में अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित कर यह स्पष्ट किया है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावे जहां वह चुनौती आदेश पारित किए जाने से पूर्व कार्यरत था।

माननीय अधिकरण के आदेश की पालना में कन्हैयालाल खीची के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 07.02.2021 को अधिकरण के आगामी आदेश/अन्तिम निर्णय तक स्थगित किया जाता है एवं उत्पन्न दोहरे पदस्थापन की स्थिति में श्री जसवंत सिंह व्या० इतिहास का राउमावि माजरी कला, नीमराना-अलवर में किया जाता है। उक्त पदस्थापन माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 1739/2021 के अंतिम निर्णय के अध्वधीन रहेगा।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- 23/6/2021

क्रमांक: शिविरा/माध्य/सी-2/स्थगन/अपील सं.1739/कन्हैयालाल खीची/2020-21
दिनांक:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा।
4. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
6. संबंधित प्राधानाचार्य
7. संबंधित कार्मिक
8. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर